

आदेश

निम्नलिखित पुलिस कर्मियों को उनके नाम के समुख अंकित जनपद से अनुकम्पा के आधार पर निजी व्यय पर आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ०प्र० लखनऊ स्थानान्तरित किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त संख्या: एसपी-(ई-1)-जनरल-144/2022 दिनांक 21.05.2022 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-

क० सं०	पद	पीएनओ	कर्मि का नाम	गृह जनपद	कहां से	कहाँ को
1	2	3	4	5	6	7
01	आरक्षी ना०पु०	112121280	सुधीर कुमार वर्मा	हरदोई	रायबरेली	आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उ०प्र० लखनऊ
02	आरक्षी ना०पु०	112612997	मनाली सिंह	बदायूँ	लखनऊ नगर	आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उ०प्र० लखनऊ
03	मु०आ० नापु०	062220226	अजय शंकर यादव	लखनऊ	सुल्तानपुर	आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उ०प्र० लखनऊ

DGP HQRS UP LKW
DG-IV-STHA-GRP-144-2022/287 DATE 21-05-2022

21/5/22
(राहुल मिश्र)

अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना
नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चतुर्थ तल, (द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, सेक्टर-7, गोमतीनगरविस्तार, उ०प्र० लखनऊ-226002
संख्या: डीजी-चार-स्था०-144-2022/287 दिनांक: मई 21 2022

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस आयुक्त, लखनऊ नगर/पुलिस अधीक्षक, रायबरेली/सुल्तानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त पुलिस कर्मियों को तत्काल कार्यमुक्त करते हुये सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन उ०प्र० लखनऊ, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त पुलिस कर्मियों के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें तथा क्रमांक 03 पर अंकित कर्मि का गृह जनपद लखनऊ होने के कारण ईओडब्लू की अन्य जनपद स्थित शाखा में नियुक्त करने का कष्ट करें।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।